पत्रांक–22/अनु0– 05/2012सा0प्र0–.......11462......../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

दयानिधान पाण्डेय
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

सभी सरकारी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 24 अगस्त, 2016.

विषय – सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर ग्रेड पे ₹1800 एवं ग्रेड पे ₹1900 के साथ–साथ ग्रेड पे ₹2000 पर भी नियुक्ति एवं प्रशिक्षण के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के क्रम में आवेदन कर्त्ता के शैक्षणिक अर्हता को ध्यान में रखते हुए ग्रेड पे ₹1800 अथवा ग्रेड पे ₹1900 के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुशंसा करने का प्रावधान किया गया है। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति किसी संवर्ग विशेष के मूल कोटि के पदों पर ही की जा सकती है।

2. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रसंग में सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि विभिन्न सेवाओं के संवर्ग नियमावलियों के तहत संवर्ग के मूल कोटि के सीधी भर्त्ती से भरे जानेवाले पदों का एक पूर्व निर्धारित प्रतिशत ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रावधानित/आरक्षित किया गया है। अतः अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद सीमित किये जाने के कारण अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा के बावजूद सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रित को पद उपलब्ध नहीं रहने के कारण ससमय अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ नहीं मिल पाता है जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है।

3. अतः सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता को ध्यान में रखकर, सीधी भर्त्ती से भरे जाने वाले ग्रेड पे ₹1800 (मैट्रिक उत्तीर्ण), ग्रेड पे ₹1900 एवं ग्रेड पे ₹2000 (मैट्रिक से उच्चत्तर योग्यताधारी) के पद पर की जा सकेगी। अनुशंसा के अनुरूप पैतृक विभाग में (जहाँ मृत्यु के समय सरकारी सेवक पदस्थापित रहे हों।) ग्रेड पे ₹2000 का पद उपलब्ध नहीं हो, तो

नियुक्ति प्राधिकार द्वारा ग्रेड पे ₹1900 के पद पर तथा ग्रेड पे ₹1900 का पद उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में ग्रेड पे ₹1800 के पदों पर उक्त पद हेतु विहित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की जायेगी।

4. पैतृक विभाग में ग्रेड पे ₹2000, ग्रेड पे ₹1900 एवं ग्रेड पे ₹1800 में रिक्ति उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में मुख्य सचिव के स्तर से निर्गत परिपत्र सं0–2271 दिनांक–02.07.2007 में विहित प्रक्रियानुसार अन्य विभागों में उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध नियुक्ति करने का अनुरोध पैतृक विभाग द्वारा किया जायेगा तथा संबंधित विभाग के नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अपने विभाग/कार्यालय में उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध मृत सरकारी सेवक के आश्रित की नियुक्ति संबंधित अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में की जायेगी।

5. अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्‌देश्य से सरकार द्वारा निम्नांकित निर्णय भी लिए गये हैं :–

(क) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को उनके संवर्ग हेतु विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(ख) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में टंकण एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

6. अनुकम्पा नियुक्ति हेतु पूर्व में निर्गत परिपत्र सं0–5958 दिनांक–25.04.2012 की कंडिका–'ख' तथा कंडिका–'घ' के प्रावधान उपर्युक्त हद तक संशोधित समझे जायेंगे तथा शेष प्रावधान पूर्ववत् रहेंगे।

7. उपरोक्त पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(दयानिधान पाण्डेय)
सरकार के अपर सचिव।